(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3089/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बडनगर अपील प्रकरण क्रमांक 70/2011-12.

---

1. रामेश्वर पिता बगदीराम जाति तेली
2. भरतलाल पिता रामेश्वर जाति तेली

निवासीगण ग्राम खेड़ावदा तह. बड़नगर
जिला उज्जैन

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. मीराबाई पति स्व. गोविन्द
2. कु. लीला अव. पिता स्व. गोविन्द
3. कु. कौशल्या अव. पिता स्व. गोविन्द
4. कु. ज्योति अव. पिता स्व. गोविन्द

संरक्षक माता मीराबाई स्व. पति गोविन्द
समस्त जाति तेली निवासी ग्राम खेड़ावदा
तह. बड़नगर जिला उज्जैन

5. संगीताबाई पति नानालालपुत्री रामेश्वर
6. श्रीमती मांगूबाई पति रामेश्वर राठौड़

समस्त जाति तेली निवासी ग्राम खेड़ावदा
तह. बड़नगर जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री एम.एल. यादव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा ज़ायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बडनगर द्वारा पारित दिनांक 30.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक 1 रामेश्वर द्वारा नायब तहसीलदार, बड़नगर जिला उज्जैन के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खेड़ावदा स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 446/1 रकबा 0.98, सर्वे क्रमांक 447/1 रकबा 0.12, सर्वे क्रमांक 470 रकबा 2.64, सर्वे क्रमांक 471 रकबा 0.93, सर्वे क्रमांक 694 रकबा, 1.26 सर्वे क्रमांक 914 रकबा 045 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा हेतु संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/अ-27/2010-11 दर्ज कर दिनांक 02.08.2011 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर जिला उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदक पक्ष द्वारा संहिता की धारा 32 एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2016 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के सहखातेदार हैं और उनके द्वारा अपनी भूमि का बंटवारे हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश पारित किया है। यह भी कहा गया कि अनावेदकपक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सहखातेदार नहीं हैं, इसलिए उन्हें बंटवारा कार्यवाही को चुनौती देने का कोई अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक पक्ष द्वारा अपील में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होना अभिवचन किया है और स्वत्व के संबंध में अनावेदक पक्ष द्वारा सिविल वाद भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय के समानांतर कार्यवाही

की जा रही है। अत: आवेदक द्वारा आवेदन पत्र व्यवहार न्यायालय को प्रकरण का निराकरण होने तक अपील स्थगित रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसका निराकरण करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूल की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक, अनियमित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। यह भी कहा गया कि भूमिस्वामी आवेदक रामेश्वर जीवित है और पिता के जीवित रहते उसके स्वामित्व की भूमि पर उनके पुत्र पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आधार पर कहा गया कि आवेदकजो कि अनावेदिका क्रमांक 1 का ससुर है, उसके जीवित रहते अनावेदिका क्रमांक 1 को बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें अनावेदकगण के स्वत्व समाप्त हुए हैं जो कि त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 विधिक वारिस है और तहसील न्यायालय के आदेश से उनके स्वत्व समाप्त हुए हैं। इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक पक्ष का हिस्सा हड़पने के लिए अनावेदक पक्ष को बिना पक्षकार बनाये तथ्यों को छुपाकर तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक पक्ष को सूचना एवं सुनवाई का बिना अवसर दिये बंटवारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है। यह भी कहा गया कि सिविल वाद में प्राइमरी है अंतिम नहीं, जिसका फायदा उठाकर आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वह उभय पक्ष पर बंधनकारी होगा। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

प्रत्योत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि भरतलाल का जितना हिस्सा था, उसे उतना मिल चुका है और अनावेदक क्रमांक 1 मीराबाई द्वारा सम्पत्ति में हिस्सा लेने से इंकार किया गया है। यह भी कहा गया कि यह प्रकरण बंटवारे का है, इसलिए नामांतरण नियम लागू नहीं होंगे।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि मृतक गोविन्द आवेदक क्रमांक 1 रामेश्वर का

पुत्र है और अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 मृतक गोविन्द के विधिक वारिस होने के कारण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 विधिक वारिसान होने के कारण तहसील न्यायालय को उनके हिस्से का बटवारा किया जाना चाहिए था, किन्तु आवेदकगण द्वारा न तो उन्हें पक्षकार बनाया गया है और न ही तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश की अपील सुनने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को है । अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं होने के कारण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अत: आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-8-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर